

॥कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक ०९० / २०१०-१ दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई, १८ /२०१९

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी० ०२ से मोखमल्ला मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल हस्तान्तरित वनभूमि ३.०७५ है० वन भूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई०डी०एस० दिनांक १०.०७.२०१९

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर कतिपय कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग को प्रस्ताव वापस किया गया, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं० ४०४/१३सी दिनांक १६.०७.२०१९ से आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
१.	उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व हवाई दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न व पार्ट-१ में अपलोड नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित स्थल जिस समीपस्थ राष्ट्रीयपार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य समीपस्थ है के नाम तथा प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करे, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।	हवाई दूरी प्रमाण पत्र पार्ट-१ में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है एवं आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।
२.	पार्ट ११ के क्रम सं० ०६ में अपलोड जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट में (According to geologist report submitted by the user agency अंकित किया गया है, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी अपनी टिप्पणी अंकित की जानी है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी अपनी टिप्पणी पार्ट ११ के यथास्थान में अंकित कर दी गयी है।
३.	प्रस्ताव में बांज के वृक्ष अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं इस सम्बन्ध में वन संरक्षक की एस०आई०आर० रिपोर्ट में पातन वृक्षों का उल्लेख करते हुए पार्ट-११ के पैरा १५ में अपलोड करे।	वन संरक्षक की एस०आई०आर० रिपोर्ट पार्ट ११ के Additional information में अपलोड कर दी गयी है।
४.	NPV, CA Scheme, CA Suitability, land scheduled, barchart and Aerial distance इत्यादि को पार्ट-११ के पैरा १३ Additional information में सम्बन्धित पत्रों के नाम Remark कॉलम में अंकित करते सही क्रमानुसार पार्ट-११ में अपलोड करे।	सम्बन्धित प्रपत्र ऑनलाईन पार्ट ११ के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड-२ कर्णप्रयाग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग**

eeepmgsykaranpraya2@rediffmail.com

Phon, Fax : 01363244103

पत्रांक 404/18 सी०

दिनांक 16/07/2019

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
रायपुर रोड, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

विषय :-

नोडल कार्यालय द्वारा Proposal no. FP/UK/ROAD/38079/2019 के अर्न्तगत धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के किमी० 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल हस्तान्तरित वनभूमि 3.075 है० वन भूमि प्रस्ताव में अंकित EDS Dated 10-07-2019 की त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
01	उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा न होने व हवाई दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न व पार्ट-1 में अपलोड नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित स्थल जिस समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण समीपस्थ है के नाम तथा प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।	हवाई दूरी प्रमाण पत्र पार्ट-1 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है एवं आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।
02	पार्ट-11 के क्रम संख्या 6 में अपलोडेड जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट में (According to geologist report submitted by the user agency) अंकित किया गया है, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी अपनी टिप्पणी अंकित की जानी है।	निराकरण प्रभागीय बनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
03	प्रस्ताव में बाँज के वृक्ष अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं इस सम्बन्ध में वन संरक्षक की एस०आई०आर० रिपोर्ट में पातन वृक्षों का उल्लेख करते हुए पार्ट-11 के पैरा 15 में अपलोड करें।	निराकरण प्रभागीय बनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
04	NPV, CA scheme, CA suitability, land scheduled, bar chart and Aerial distance इत्यादि को पार्ट-11 के पैरा 13 additional information में सम्बन्धित पत्रों के नाम Remark कॉलम में अंकित करते सही क्रमानुसार पार्ट-11 में अपलोड करें।	निराकरण प्रभागीय बनाधिकारी स्तर से किया जाना है।

Forwardin/forest

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner